न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 7/2022 बउनवानी आर.पी.मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा–श्री संजीव कुमार सैन, मकान नम्बर एफ–3, फतेह विला, सूरज राज. सीनियर सै0 स्कूल के पीछे एवं विराठ माता मंदिर के सामने, सुभाष नगर भीलवाडा

GCMS No-2022/7 **On line Appeal No- 321237734095373**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.1.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1- Under FPS code 2049 NFSA beneficiary name who have more than 2 hect. Agriculture land in village -Jharoli and barh karoli

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2022/249 दिनांक 7.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.1.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना (ग्राम झारोली व बाढ कारोली के खाद्य सुरक्षा सूची पोर्टल से अपलोड कर) अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 248 दिनांक 7.2.2022 से जरिये डाक एवं जरिये ई–मेल भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.1..2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की (कुल 6 पृष्ठो की) सूचना उपजिला कलेक्टर बामनवास के पत्रांक 248 दिनांक 7.2.2022 से अपीलान्ट को जरिये डाक एवं जरिये ई–मेल भिजवायी जा चुकी है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उक्त सूचना अधिनियम की तय समय सीमा गुजरने के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है इसलिए उपजिला कलेक्टर बामनवास को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम तहत प्राप्त हो[illegible] अधिनियम की तय समय सीमा में निस्तारण करते हुए संबंधित को सूच[illegible] करवायी जावे। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलान्ट को वांछित सूच[illegible] उपलब्ध हो [illegible] है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझत[illegible] अपीलान्ट [illegible] की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर